।। ओ३म् ।।

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

प्रबन्ध–मण्डल की 30वीं बैठक की कार्यवाही

दिनांक : 09.05.2026 **समय** : प्रातः 11:00 बजे **स्थान** : ए0आई0यू0, नई दिल्ली

प्रबन्ध मण्डल की 30वीं बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही:

क्र0 सं0	नाम	पद
1.	प्रो0 प्रतिभा मेहता लूथरा	मान्या कुलपति, अध्यक्ष
2.	डॉ0 एस0एम0 शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य
3.	डॉ0 हरि प्रकाश शर्मा	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य
4.	डॉ0 सुभाष चन्द्र तंवर	मान्य कुलाधिपति जी द्वारा नामित सदस्य
5.	श्री पी0के0 बैनर्जी, संयुक्त सचिव, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार	शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित सदस्य – अनुपस्थित
6.	श्री विनय आर्य	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
7.	श्री अशोक कुमार पुरथी	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
8.	डॉ0 राजेन्द्र विद्यालंकार	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
9.	श्री कृपाल सिंह	प्रायोजक संस्था (Sponsoring Body) सदस्य
10.	प्रो0 नवनीत	वरिष्ठ प्रोफेसर, सदस्य
11.	प्रो0 कर्मजीत भाटिया	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्य
12.	प्रो0 सुरेखा राणा	वरिष्ठ संकायाध्यक्ष, सदस्या
13.	डॉ0 मनोज कुमार	वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर, सदस्य
14.	प्रो0 विनोद कुमार सिंह, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
15.	प्रो0 एल0पी0 पुरोहित, परीक्षा नियन्त्रक	विशेष आमंत्रित
16.	प्रो0 पंकज मदान, निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ	विशेष आमंत्रित
17.	डॉ0 श्वेतांक, उप कुलसचिव	विशेष आमंत्रित
18.	प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार, कुलसचिव	सचिव–संयोजक

ईश वन्दना के साथ बैठक आरम्भ हुई।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
1.	प्रस्ताव संख्या 01	समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत सीलबन्द लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2026 को हुई प्रबन्ध मण्डल की निरन्तरता में दिनांक 26.03.2026 की बैठक में शिक्षकों के CAS प्रोन्नति की संस्तुतियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज तत्समय बैठक में उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकरण पर मान्या कुलपति जी को वस्तुस्थिति जांच करने तथा इस सम्बन्ध में शीघ्र ही तथ्यों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर कार्य करने हेतु अधिकार दिया गया साथ ही की गयी कार्यवाही से आगामी बैठक में सदन को अवगत कराया जाय। अतः उक्त के आलोक में मान्या कुलपति जी द्वारा सदन को अवगत कराया जाना है।	यह निर्णय लिया गया कि सम्बद्ध–पक्ष जो–जो थे, भविष्य में उन्हें ऐसी विस्मृति न होने की सलाह दी जाए और एक दिशानिर्देश जारी किया जाए।	दिनांक 26.03.2026 की बैठक के सन्दर्भ में कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।
2.	प्रस्ताव संख्या 02 समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत सीलबन्द लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रस्ताव संख्या 01 के आलोक में आगामी नैक एवं एन0आई0आर0एफ0 को दृष्टिगत रखते हुए समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्थायी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत सीलबन्द लिफाफों को खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत है।	प्रस्तावान्तर्गत शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की नाम–सूची न होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि 24/03/2026 की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत जो–जो नाम/सूची है, उसी सूची के अनुसार प्रोन्नति के लिफाफे खोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए केवल वरिष्ठ प्रोफेसर्स के प्रोन्नति लिफाफे अभी न खोले जायें। सदन में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (लेवल–11) से प्रोफेसर (लेवल 14) में प्रौन्नत हुए शिक्षक/ शिक्षिकाओं के समस्त लिफाफों को बैठक में खोला गया तथा कैश के अन्तर्गत प्रौन्नत सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं के नाम सुनाये गये। डा0 हिमांशु गुप्ता का नाम सूची के अन्तर्गत नहीं था किन्तु लिफाफा अवश्य था, उनके लिफाफे पर 'अमान्य' तथा अन्य शिक्षक तथा शिक्षिकाओं के सूचीबद्ध नामों पर 'मान्य' लिखा पाया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत स्थायी शिक्षक/ शिक्षिकाओं के कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत सीलबन्द लिफाफों	अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर (लेवल–11) से प्रोफेसर (लेवल 14) तक प्रौन्नत हुए शिक्षक/ शिक्षिकाओं के प्रौन्नति के पत्र जारी कर दिये गये हैं। स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कार्यरत स्थायी शिक्षक/ शिक्षिकाओं के कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
			को खोले जाने पर विचार आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में किया जायेगा साथ ही अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रोफेसरों के प्रोन्नति के लिफाफे खोलने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि सदन सैद्धान्तिक रूप से इन प्रोन्नति को स्वीकार करती तथा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आगामी बैठक में लिया जाएगा।	अन्तर्गत सीलबन्द लिफाफों को तथा अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रोफेसरों के प्रोन्नति के लिफाफे आगामी बैठक में खोलने हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
3.	प्रस्ताव संख्या 03 समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकों द्वारा इनके पूर्व संस्थानों में की गयी सेवाओं को इस समविश्वविद्यालय में जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों स्थायी रुप से कार्यरत शिक्षकों द्वारा इनके पूर्व संस्थानों में की गयी सेवाओं को वर्तमान सेवा में नियमानुसार जोड़ने/पी–एच0डी0 उपाधि की नॉन–कम्पाउन्ड अग्रिम वेतन–वृद्धि तथा पूर्व सेवाओं के वेतन को सुरक्षित रखने हेतु प्रो0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्बन्धित शिक्षकों की पूर्व सेवाओं के जोड़े जाने इत्यादि के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियां की है:– 1. प्रो0 मुकेश कुमार – समविश्वविद्यालय के वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में कार्यरत प्रो0 मुकेश कुमार द्वारा इस समविश्वविद्यालय में नियुक्ति (01.04.2021) से पूर्व शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेष के अन्तर्गत साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद में दिनांक 19.01.1990 से 31.03.2021 तक की गयी स्थायी सेवाओं को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों हेतु जोड़ने के लिये दिनांक 23.09.2025 को दिये प्रार्थना–पत्र, जिसमें शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा डिग्री पेंशन अनुभाग प्रयागराज, (उ0प्र0) के पत्रांक संख्या डिग्री पेंशन/1868/2025–26 दिनांक 18.09.2025 के अनुसार इनकें दिनांक 19.01.1990 से 31.03.2021 तक के कैपिलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंषन की कुल राशि रु. 94,51,615/– समविश्वविद्यालय को प्राप्त हो गयी है, परन्तु उपदान एवं अर्जित अवकाश नकदीकरण की राशि अभी प्राप्त नही हुयी है। उक्त के आलोक में समिति ने डॉ0 मुकेश कुमार के पेंशन हेतु सेवाएँ दिनांक 19.01.1990 से तथा उपदान एवं अवकाश नकदीकरण राशि के भुगतान हेतु सेवाएँ इस समविश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की	प्रो0 श्री राजेन्द्र कुमार विद्यालंकार जी ने कहा कि प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 10/01/2021 को सम्पन्न 16वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 3(6) के अनुसार निर्णय लिया जाये। सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत हैं– 1. पद नियमानुसार विज्ञापित होना चाहिए तथा रिक्त पद का विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित होना चाहिए। 2. साक्षात्कार हेतु चयन समिति यू.जी.सी. के प्रावधान एवं विश्वविद्यालय के अनुमोदित भर्ती नियमानुसार होनी चाहिए। 3. विज्ञापित पद की योग्यता यू.जी.सी. के नियमानुसार पूर्ण होनी चाहिए। 4. अभ्यर्थी को चयनित एवं नियुक्ति होने पर यू.जी.सी. के नियमानुसार पूर्ण वेतनमान दिया गया हो तथा नियुक्ति की अवधि 01 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 5. सम्बन्धित शिक्षक के वेतन का भुगतान बैंक के द्वारा किया गया हो। 6. अनुभव प्रमाण–पत्र में पदनाम एवं वेतनमान स्पष्ट रुप से अंकित किया जाना चाहिए जिसमें प्राप्त अंतिम मूल वेतन भी अंकित होना चाहिए। 7. सम्बन्धित शिक्षक के पी.एफ. एवं आयकर की कटौती होनी चाहिए। 8. सम्बन्धित शिक्षक का आई.टी.आर. भरा होना चाहिए। 9. सम्बन्धित शिक्षक की सेवा–पुस्तिका (Service Book) नियमानुसार बनी होनी चाहिए।	सम्बन्धित शिक्षकों को प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.20221 के प्रस्ताव संख्या 3(6) के 09 बिन्दुओं के अनुसार प्रपत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित कर दिये गये हैं।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
		तिथि 01.04.2021 से मान्य करने की संस्तुति की है। 2. डॉ0 संदीप कुमार – समविश्वविद्यालय के वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में कार्यरत डॉ0 संदीप कुमार द्वारा इस समविश्वविद्यालय में नियुक्ति (10.11.2018) से पूर्व मुल्तानीमल मोदी डिग्री कॉलेज, मोदीनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर कार्यरत होने पर गठित समिति द्वारा यू0जी0सी0 रेगुलेशन 2018 के बिन्दू 10.0 (सी0ए0एस0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करना) के उपबिन्दू क–घ के अनुसार डॉ0 संदीप कुमार निर्धारित योग्यता पूर्ण करते तथा इनके पूर्व संस्थान मुल्तानीमल मोदी डिग्री कॉलेज, मोदीनगर, गाजियाबाद (उ0प्र0) में असिस्टेन्ट प्रोफेसर पद पर दिनांक 10.11.2017 से 10.11.2018 तक की गयी सेवाओं को इस समविश्वविद्यालय की सेवाओं CAS के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु मान्य किये जाने की संस्तुति की है। 3. डॉ0 रीना वर्मा – समविश्वविद्यालय के कन्या गुरुकुल परिसर, देहरादून के अन्तर्गत अंग्रेजी विभाग में कार्यरत डॉ0 रीना वर्मा द्वारा इस समविश्वविद्यालय में नियुक्ति (05.04.2021) से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सहायक अध्यापिका के रुप में कार्यरत थी। इनके द्वारा अपनी पूर्व सेवा को वर्तमान में सेवा में पेंशन हेतु जोड़े जाने के लिये दिनांक 16.08.2024 को प्रेषित पत्र के आलोक में समिति द्वारा सम्बन्धित प्रपत्रों पर अवलोकन करने के उपरान्त समिति द्वारा संस्तुति कि डॉ0 रीना वर्मा की पूर्व सेवाऐं विश्वविद्यालय स्तर की न होकर प्राइमरी विद्यालय (बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0) की होने के कारण इनकी पूर्व सेवाऐं इस समविश्वविद्याल की सेवा में पेंशन लाभ हेतु नही जोड़ी जा सकती है।	डॉ. रीना वर्मा की पूर्व सेवाओं को पेंशन लाभ हेतु नहीं जोड़ी जा सकती हैं।	
4.	प्रस्ताव संख्या 04 समविश्वविद्यालय के वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग में स्थायी रुप से कार्यरत प्रो0 मुकेश कुमार के पूर्व	डॉ0 मुकेश कुमार, प्रोफेसर, वनस्पति एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग के द्वारा दिनांक 18.11.2025 को प्रेषित प्रत्यावेदन, जिसमें इन्होंने इस समविश्वविद्यालय में वेतन–वृद्वि तिथि जुलाई, 2021 से दिये जाने एवं वेतन–निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में किये	पूर्व प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार कार्यवाही की जानी है।	पूर्व प्रस्ताव संख्या 03 के अनुसार कार्यवाही की गयी है।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
	संस्था में देय वार्षिक वेतन–वृद्वि तिथि जुलाई के अनुसार इस समविश्वविद्यालय में वार्षिक वृद्वि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	गये अनुरोध के आलोक में उल्लेखित है कि प्रो0 मुकेश कुमार इस समविश्वविद्यालय में नियुक्ति तिथि 01.04.2021 से पूर्व साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (उ0प्र0) में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर मूलवेतन रु.1,87,300/– (वेतन लेवल–13ए) प्राप्त कर रहें थे, जोकि प्रोफेसर पद के आरम्भिक मूलवेतन से अधिक था। तद्नुसार डॉ0 मुकेश कुमार के द्वारा इस समविश्वविद्यालय में दिनांक 01.04.2021 को प्रोफेसर पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर समिति द्वारा इन्हें वेतन लेवल–14 (रु.144200–218200) में मूलवेतन रु.1,88,200/– निर्धारित किया गया था तथा वेतन–वृद्वि की देय तिथि जनवरी निर्धारित की थी। चूंकि डॉ0 मुकेश कुमार को उनकी पूर्व सेवा में वेतन–वृद्धि माह जुलाई को दी जाती थी। अतः उपर्युक्त के आलोक में डॉ0 मुकेश कुमार के द्वारा दिनांक 18.11.2025 को प्रेषित अनुरोध पत्र के आलोक में इनका इस समविश्वविद्यालय में नियुक्ति तिथि (01.04.2021) से पुनः वेतन–निर्धारण तथा वार्षिक वेतन–वृद्धि की तिथि 01.07.2021 से दिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।		
5.	प्रस्ताव संख्या 05 समविश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित नियमावली–2020 में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 10.01.2021 के प्रस्ताव संख्या 07 के निर्णय के अनुसार समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित विभागों एवं संकायों में एस0एफ0एस0 रुल्स 2020 लागू किये गये थे। यह एस0एफ0एस0 रूल्स को बने हुए लगभग 07 वर्ष हो गये है। वर्तमान परिस्थितियों एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उक्त एस0एफ0एस0 रूल्स में संशोधन किया जाना हैं। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।	सदन में निश्चय किया गया कि नियमों में जो–जो संशोधन किये जाने हैं, उनका एक ड्राफ्ट बनाकर बैठक से पूर्व मान्य सदस्यों को प्रेषित कर दिया जाए। जिससे कि भविष्य की बैठक में विचार किया जा सके।	कार्यवाही जारी है।
6.	प्रस्ताव संख्या 06 समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के कुछ विभागों को आपस में मिलाकर एक विभाग के अन्तर्गत संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय के अनुरक्षण अनुदान अन्तर्गत कुछ प्राच्य विषयों के विभागों में छात्रों की प्रवेश की स्थिति कम होने के कारण इन विभागों को मिलाकर एक विभाग बनाया जाना प्रस्तावित हैं। जिसमें संस्कृत, दर्शन, वेद, ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड तथा वैदिक शोध संस्थान विभागों को आपस में मिलाकर एक प्राच्य विभाग बनाया जा सकता हैं। जिसमें छात्र/छात्रायें प्रथम वर्ष में अपने सम्बन्धित विषयों जैसे संस्कृत, दर्शन, वेद, ज्योतिष	इस प्रस्ताव की एक रूपरेखा तैयार कर ली जाए, जिसे भविष्य की बैठक में विचार विमर्श हेतु रखा जाए।	कार्यवाही जारी है।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
		का अध्ययन करेंगे तथा द्वितीय वर्ष में संस्कृत साहित्य, दर्शन साहित्य, वेद साहित्य तथा ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड साहित्य से सम्बन्धित एक उच्च कोटि का कॉमन पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे जिससे कि उक्त विषयों के छात्र/छात्राओं को समस्त विषयों की जानकारी प्राप्त हो सकें। अतः उपरोक्त प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।		
7.	प्रस्ताव संख्या 07 प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 अनुसार समविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में प्रस्ताव।	प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 23.05.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 के निर्णयानुसार समविश्वविद्यालय में स्थायी रुप से नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को स्टाफ–वार्ड के अन्तर्गत शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्ध में दिशानिर्देश बनाये जाने हेतु प्रो० एल०पी० पुरोहित की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस सम्बन्ध में प्रस्तावित है कि यू०जी०सी० नियमानुसार अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत स्टॉफ वार्ड के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्मों में 05 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जाना है। जिस प्रकार से अन्य विश्वविद्यालयों द्वारां भी प्रावधान किया जाता है। गठित समिति के द्वारा स्टॉफ–वार्ड शुल्क के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुति निम्नवत् है :– 1. स्टॉफ वार्ड सुविधा गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार के अनुरक्षण अनुदान योजना एवं स्ववित्तपोशित योजना के अन्तर्गत स्थायी रुप से कार्यरत सभी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को देय होगा। 2. स्टॉफ वार्ड सुविधा के अन्तर्गत पी०एच०डी० एवं डी०लिट कोर्स को छोड़कर अन्य सभी कोर्सों में केवल शिक्षण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की जा सकती है तथा अन्य शुल्क पूर्ण रुप से लिया जा सकता है। 3. स्टॉफ वार्ड सुविधा के अन्तर्गत एडमिशन लेने हेतु समविश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजूकेशन अलाउन्स (सी०ई०ए०) की भांति प्रथम दो वयस्क बच्चों (दूसरी अवस्था में जुड़वा सहित) एवं उसकी पत्नी/पति के लिए देय होगा। 4. स्टॉफ वार्ड सुविधा केवल एडमिशन के समय समविश्वविद्यालय में कार्यरत स्थायी शिक्षकों/शिक्षकेतर	प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया तथा आगामी सत्र द्वारा 2026–27 से केवल पाठ्यक्रमों की सीटों पर पाँच प्रतिशत सीटें (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार) स्टाफ वार्ड के अन्तर्गत आरक्षित कर लिया जाए।	पत्र जारी किये जा रहे हैं।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
		कर्मचारियों को ही देय होगी। सेवानिवृत्ति के उपरान्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को उक्त सुविधा का लाभ नहीं दिया जायेगा। 5. उक्त सुविधा का लाभ लेने के लिए शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों को प्रशासन द्वारा निर्गत स्टॉफ वार्ड प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। अनुरक्षण अनुदान की भांति स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में केवल 05 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है। अतः उपर्युक्त के आलोक में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।		
8.	प्रस्ताव संख्या 08 समविश्वविद्यालय में सेवाकाल के दौरान देहावसान हुए स्थायी शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों को समविश्वविद्यालय में अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति सम्बन्ध में प्रस्ताव।	(अ) अनुरक्षण अनुदानान्तर्गतः– समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत सेवाकाल के दौरान कुछ शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों के देहावसान होने पर भारत सरकार के नियमानुसार अनुकम्पा के आधार पर स्थाई सेवा में रखा जाना है। जिसमें कुछ शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी लगभग 10–12 वर्श पूर्व देहावसान हो गये थे। पूर्व में फरवरी, 2018 में श्री संदीप कुमार साहू पुत्र स्व0 श्री बाबूलाल को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी गयी है। वर्तमान में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत अनुकम्पा आधार पर 5 पदों पर नियुक्ति दे सकते हैं। वर्तमान में दो कर्मचारियों का फरवरी एवं मई, 2025 में देहावसान हुआ है। श्री संदीप कुमार साहू की भांति उक्त लाभ वर्तमान में मृतक कर्मचारी के परिवार से एक सदस्य को दिये जाने की संस्तुति किए जाने हेतु प्रस्तुत है। (ब) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गतः– समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सेवाकाल के दौरान कुछ शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों के देहावसान होने पर भारत सरकार के नियमानुसार अनुकम्पा के आधार पर स्थाई सेवा में रखा जाना है। जिसमें कुछ शिक्षकेतर कर्मचारी लगभग 7 वर्ष पूर्व देहावसान हो गये थे। वर्तमान में दो कर्मचारियों का जून 2025 एवं दिसम्बर, 2025 में देहावसान हुआ है। स्ववित्तपोषित में रिक्त पदों के सापेक्ष अनुरक्षण अनुदान की भांति अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति कर सकते है। अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	प्रस्ताव (अ) को पुर्नविचार हेतु सम्पूर्ण विवरण के साथ आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा प्रस्ताव (ब) को अमान्य किया गया।	प्रस्ताव (अ) को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
9.	प्रस्ताव संख्या 09 समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित विभागों में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत शिक्षकों के वेतन संरचना एवं अन्य लाभों के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित विभगों में अनुबन्ध आधार पर कार्यरत 12 शिक्षकों के द्वारा अपने वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभों को दिए जाने के सम्बन्ध में सामूहिक प्रार्थना–पत्र प्रेशित किया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखित है कि समविश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में वर्तमान में 11 शिक्षक एवं भेषज विभाग में 01 शिक्षक अनुबन्ध आधार पर कार्यरत है। इन शिक्षकों को छठे वेतन आयोग के अनुसार मूलवेतन, ग्रेड पे, तथा अन्य भत्ते दिये जा रहे है तथा नियुक्ति तिथि से वर्श 2018 तक वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी गयी थी। चूंकि उक्त शिक्षक अपनी शैक्षिक योग्यता AICET के अनुसार पूर्ण करते है तथा इनके शिक्षण कार्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि प्राप्त नही हुई है। अतः उक्त शिक्षकों को पूर्व की भांति वेतन वृद्धि दिया जाना प्रस्तावित है।	यह निश्चय हुआ की आगामी बैठक में पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।	आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
10.	पूरक प्रस्ताव संख्या 01 समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदानान्तर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम तिमाही के वेतन सम्बन्धित सूचना।	शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.04.2026 को प्रेषित मेल के आलोक में समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत स्थायी, अनुबन्ध एवं फिक्स वेतन पर कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं पेषनर्स का वित्तीय वर्ष 2026–27 (अप्रैल से जून 2026) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के बजटीय मांग के अनुरुप दिनांक 30.04.2026 प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत है।	अंकन किया गया। शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार से पत्राचार प्रगतिमान है।	कार्य पूर्ण हो चुका है।
11.	पूरक प्रस्ताव संख्या 02	समविश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में सहशिक्षा पर विचार–विमर्श हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।	प्रस्ताव निरस्त माना गया।	कोई कार्यवाही नहीं होनी है।
12.	पूरक प्रस्ताव संख्या 03	समविश्वविद्यालय में अनुरक्षण अनुदान के अन्तर्गत फिक्स वेतन पर कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं तथा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कुछ शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की शिक्षण कार्य अवधि आगामी मई/जून, 2026 में समाप्त होने के कारण सम्बन्धित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की शिक्षण कार्य अवधि 30. 06.2026 तक उनको वर्तमान में देय फिक्स वेतन के अनुसार शिक्षण कार्य अवधि बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। क्योंकि वर्तमान दिनांक 15.05.2026 से छात्र/छात्राओं की सेमेस्टर परीक्षाऐं, प्रयोगात्मक परीक्षाऐं, लघुशोध की मौखिक परीक्षाऐं तथा उत्तर–पुस्तिकाओं का मूल्याकन किया जाना है। जिस हेतु	30 जून 2026 तक कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। पत्र जारी कर दिये गये हैं।	कार्यवाही पूर्ण की गयी।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
		उपर्युक्त फिक्स वेतन पर कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः प्रस्ताव सूचना हेतु प्रस्तुत है।		
13.	पूरक प्रस्ताव संख्या 04	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2023 के अनुसार समविश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं की शिकायतों के निवारण सम्बन्धी विनियम 2023 के अनुपालन में लोकपाल (Ombudsperson) की नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव।	अगली बैठक में रखने हेतु।	प्रायोजक संस्था द्वारा नाम दिया जाना है, पुष्टि हेतु इसको आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
14.	पूरक प्रस्ताव संख्या 05	समविश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी के निजी सचिव द्वारा दिनांक 29.04.2026 को प्रेषित दो पत्रों एवं दिनांक 30.04.2026 को प्रेशित पत्र के सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय द्वारा की गयी कृत कार्यवाही सम्बन्धी प्रस्ताव।	अगली बैठक में रखने हेतु।	सूचना उपलब्ध करायी जा रही है।
15.	पूरक प्रस्ताव संख्या 06	समविश्वविद्यालय में भविष्य में होने वाली प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुरक्षण अनुदान एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत के प्रस्तावों पर अलग–अलग समय पर विचार–विमर्श किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार।	प्रस्ताव को अगली बैठक में रखने हेतु पारित हुआ।	प्रस्ताव का अनुपालन आगामी बैठक से कर लिया जायेगा।
16.	अन्य पूरक प्रस्ताव 01	समविश्वविद्यालय के स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के पुस्तकालय में कार्यरत श्री शत्रुघ्न झा द्वारा मान्य उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड में अपनी सेवा 2006 से प्रभावी मानते हुए नियमानुसार CAS प्रोन्नति के सम्बन्ध में दायर वाद संख्या WPNo-365/2020(SB) में दिनांक 08.07.2025 को पारित आदेश के क्रम में दिये गये अभ्यावेदन पर तत्कालीन पूर्व कुलपति डॉ0 हेमलता के. महोदया द्वारा इनके अभ्यावेदन का निपटान कर आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार श्री शत्रुघ्न झा को स्टेज–02 तथा स्टेज–03 पर निर्धारित समयावधि में CAS प्रोन्नति प्रदान की गयी है तथा स्टेज–04 एवं स्टेज–05 के लिये यह मामला प्रबन्ध मण्डल के समक्ष विचार–विमर्श तथा निर्देश/आदेश के लिए रखा जाए के क्रम में प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.03.2026 के पूरक प्रस्ताव–12 में रखा गया था। जिस पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा विधिक राय लेते हुए आगामी बैठक में रखने हेतु प्रस्ताव किया गया था, पर विचार।	शत्रुघ्न झा के प्रकरण पर आगामी बैठक में पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए।	प्रकरण को आगामी प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

क्र. सं.	प्रस्ताव	प्रस्ताव विवरण	सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सुझाव	कार्यवाही
17.	अन्य पूरक प्रस्ताव 02	समविश्वविद्यालय में शिक्षा पटल की बैठक दिनांक 22.04.2026 के प्रस्ताव संख्या 15 के अर्न्तगत समविश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को सर्वसम्मति से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। (1) M.Sc. Forensic Science and Criminology (2) M.Sc. Biomedical Engineering	सर्वसम्मति के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।	आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–2027 से प्रवेश की प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।

शान्ति पाठ के उपरान्त दिनांक 09.05.2026 की बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

(प्रो. सत्यदेव निगमालंकर)
कुलसचिव (कार्यवाहक)